आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 367 /इंदौर/ 2017
निर्धारण वर्ष : 2014-15

मे. मध्य भारत फॉस्फेट प्रा. लि., भोपाल	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त-2, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएडीसीएम 7946 डी		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री लाल चंद, आयकर आयुक्त

सुनवाई तिथि :	17.09.2018
उद्घोषणा तिथि :	17.09.2018

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त-2, भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन पारित आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरुद्ध दाखिल की गई है। इस अपील की सुनवाई के समय निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जबकि राजस्व की ओर से श्री लाल चंद, आयकर आयुक्त उपस्थित हुए।

2. यह अपील निर्धारिती द्वारा 22.05.2017 को दाखिल की गई जैसा कि इस अपील की आदेश पत्रक प्रविष्टी से प्रकट है। इस अपील की सुनवाई पूर्व में दिनांक 18.05.2018 को नियत की गई थी । इस तारीख को निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । हालांकि निर्धारिती को एक और अवसर देते हुए सुनवाई 17.09.2018 हेतु स्थगित की गई तथा निर्धारिती को फार्म सं. 36 में उल्लिखित पते पर रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रेषित किया गया । यद्यपि दिनांक 17.09.2018 को इस अपील की सुनवाई के समय न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया । यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती उसकी अपील को जारी रखने का इच्छुक नहीं है। अतः, इसे अनिश्चित अवधि तक न्यायनिर्णयन हेतु लंबित नहीं रखा जा सकता। इस तथ्य की दृष्टि में, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती की अपील खारिज करने योग्य है। हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा समर्थित है-

1) 118 आईटीआर 461 में ज्ञापित (सुसंगत पृष्ठ 477 एवं 478) आयकर आयुक्त बनाम बी.एन. भट्टाचार्जी तथा अन्य के प्रकरण में, जिसमें न्यायाधिकारियों ने अभिधारित किया है-

> " अपील का अर्थ केवल अपील दाखिल करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी अनुसरण है।"

2) इस्टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयुक्त के प्रकरण, 223 आईटीआर 480 (म.प्र.), में निर्धारिती की प्रार्थना पर किए गए संदर्भ को व्यतिक्रम में खारिज करते हुए उनके आदेश में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

> " यदि कोई पक्ष, जिसके अनुरोध पर संदर्भ किया गया है, सुनवाई में उपस्थित होने में विफल होता है या अभिलेख पुस्तिका तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में, ताकि संदर्भ की सुनवाई की जा सकें, विफल होता है, तो न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है।"

3) आयकर आयुक्त बनाम मल्टीप्लान इन्डिया लिमिटेड के प्रकरण, 38 आईटीडी 320 (दिल्ली), में राजस्व द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की गई थी जिसे सुनवाई हेतु नियत किया गया था। परंतु सुनवाई

की तारीख पर, किसी ने राजस्व/ अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया न ही स्थगन हेतु कोई सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकारी नहीं थी कि क्यो राजस्व ने तारीख पर अनुपस्थित होने का विकल्प चुना। अधिकरण ने अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर, अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 19 के उपबंधों की दृष्टि में राजस्व द्वारा दाखिल अपील को अग्राह्य माना।

परिणामतः, निर्धारिती द्वारा दाखिल अपील अभियोजन नहीं करने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 17.09.2018 को खुले न्यायालय में विद्वान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 17.09.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल